दैनिक भास्कर
बिलासपुर 01-08-2025

रायपुर-बिलासपुर NH पर हादसा • विहिप, बजरंग दल और ग्रामीणों का चक्काजाम

वाहन ने 18 मवेशियों को कुचला, 15 की मौत; दो पशु मालिकों पर एफआईआर, कुचलने वाला फरार

भास्कर न्यूज | सरगांव

रायपुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे पर ग्राम पंचायत किरना में गुरुवार तड़के ओवरब्रिज के पास एक भारी वाहन ने सड़क किनारे बैठे 18 मवेशियों को कुचल दिया। हादसे में 15 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन मवेशी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद पुलिस ने दो पशु मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। घटना की सूचना फैलते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और एनएच पर चक्का जाम कर दिया। बता दें कि 17 जुलाई को दिए गए आदेश के परिपालन में राज्य सरकार ने बताया कि अब तक 2000 से अधिक मवेशियों पर रेडियम पट्टियाँ लगाई गई हैं। प्रदर्शनकारियों ने दोषी वाहन चालक की तत्काल गिरफ्तारी, गौवंश की सुरक्षा के लिए ठोस उपाय और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। घायल मवेशियों का इलाज सरगांव के पशु चिकित्सालय में जारी है, जबकि मृत मवेशियों का पोस्टमार्टम कर उन्हें दफनाया गया है। शेष | पेज 5

28 जुलाई को कड़ार-सारधा चौक के पास अज्ञात वाहन ने 19 मवेशियों को कुचल दिया था। दो पशुपालकों को गिरफ्तार किया गया था।

भास्कर इनसाइट • जनहित याचिकाओं पर अब तक 34 बार सुनवाई

हादसों में 200 से अधिक मवेशियों की मौत, हाई कोर्ट ने NHAI से मांगा शपथ पत्र, कहा- व्यवस्था करें

अनुपम सिंह | बिलासपुर

गुरुवार की सुबह बिलासपुर- रायपुर नेशनल हाईवे पर एक बार फिर भारी वाहन के कुचलने से 15 मवेशियों की मौत हो गई। इस मामले पर गुरुवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सख्त नाराजगी जताते हुए अब तक किए गए प्रयासों को नाकाफी बताते हुए एनएचएआई के प्रोजेक्टर डायरेक्टर को शपथ पत्र देने के निर्देश दिए हैं। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को अब तक किए गए कार्यों पर शपथ पत्र देने को कहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि जनजागरूकता अभियान चलाने, वाहन चालकों को सतर्क करने और सड़क पर सावधानी से यात्रा करने की सलाह देने की आवश्यकता है, ताकि मवेशियों और राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पिछले दो सालों में 200 से अधिक मवेशियों की मौत हो चुकी है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रदेश की सड़कों खासकर नेशनल हाईवे पर भारी वाहनों की चपेट में आने से मवेशियों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा। हाई कोर्ट ने पिछले साल 17 जुलाई को सिलपहरी के तेज रफ्तार वाहन ने 9 मवेशियों के कुचलने के मामले में संज्ञान लिया था और मुख्य सचिव को जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा था कि नेशनल हाइवे में मवेशियों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? शेष | पेज 5

पहल भी... | निगम और जिला पंचायत द्वारा मवेशियों के लिए शेल्टर होम बनाए जा रहे हैं। रतनपुर के जोगीपुर में 205 एकड़ में गौ-अभयारण्य का प्रस्ताव है। हर ग्राम पंचायत में निगरानी टीमों का गठन किया गया है।